

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

कमांक: वाचक/2021/7299

दिनांक : 03.11.2021

प्रार्थी

मदनलाल पुत्र जुआराराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. ग्राम पंचायत थापन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थापन
3. छगनलाल पुत्र मोडाजी जाति नाई निवासी थापन
4. मोटाराम पुत्र पावुराम जाति नाई निवासी थापन
5. मीठाराम पुत्र हीराराम जाति नाई निवासी थापन
6. बन्शाराम पुत्र हीराराम जाति नाई निवासी थापन
7. गोदसिंह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी थापन
8. मकसिंह पुत्र जीवसिंह जाति राजपूत निवासी थापन

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम


राजस्व आवेदन सं...390/2018

दिनांक :- 22.10.2021

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम थापन पटवार मण्डल थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 138 रकबा 06.07 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना


दिनांक : 03.11.2021

कमांक: वाचक/2021/7300-7304

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी थापन को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. मदनलाल पुत्र जुआराराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
5. रक्षित पत्रावली




उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना